

मध्यप्रदेश शासन
संसदीय कार्य विभाग

(विन्ध्याचल भवन, द्वितीय तल)

क्रमांक (6)24/01/अडतालीस,
प्रति,

भोपाल दिनांक 13 जुलाई, 2005

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा,
भोपाल ।

विषय:—माननीय विधायकों को वाहन क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर शासन द्वारा ब्याज अनुदान ।

इस विभाग के उपर्युक्त विषयक समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

बारहवीं विधान सभा के माननीय विधायकों को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अतिरिक्त, अन्य बैंकों से भी वाहन क्रय करने हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा, उस सीमा तक उपलब्ध होगी, जिस सीमा तक उक्त दो बैंकों से लिए जाने ऋण पर उपलब्ध होती ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता /

(नीरज दुबे)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

संसदीय कार्य विभाग

प. क्रमांक (6)24/01/अडतालीस,
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 31 दिसम्बर, 2004

- (1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- (2) मुख्य महा-प्रबन्धक, समस्त बैंक, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित । कृपया अधीनस्थ शाखाओं को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें ।

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

संसदीय कार्य विभाग